

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।  
प्रार्थी M/s Sanjivani Non-Ferrous Trading Pvt. Ltd. Noida-Dadri Road, Tilpata,  
Opposite ICD Dadri Gate No.-2, Gautam Budh Nagar.  
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक 037 / 13, 22.08.2013  
प्रार्थी की ओर से श्री सुनील गोयल एवं श्री गौरी शंकर अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

M/s Sanjivani Non-Ferrous Trading Pvt. Ltd. Noida-Dadri Road, Tilpata, Opposite ICD Dadri Gate No.-2, Gautam Budh Nagar द्वारा दिनांक 22.08.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछे गये हैं :-

(i) Whether any tax is payable in the State of U.P. in respect of the purchases made in the course of import by the applicant in respect of the goods cleared at ICD, Dadri and transported to its various branches outside the State of U.P.?

(ii) Whether any tax is payable by the applicant company in the State of U.P. in respect of the clearances of such goods at ICD Dadri and carriage thereof to its branches.

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री सुनील गोयल एवं श्री गौरी शंकर अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये । उन्होंने बताया कि उनकी फर्म नोएडा में पंजीकृत है एवं उनकी फर्म कम्पनी विभाग एवं कम्पनी एक्ट में पंजीकृत है जिसके साक्ष्य के रूप में उन्होंने सर्टीफिकेट ऑफ इनकोर्पोरेशन की प्रतिलिपि प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न की है । कम्पनी का अधिकृत कार्यालय दिल्ली में स्थित है तथा कम्पनी की शाखायें प्रान्त में एवं प्रान्त के बाहर हरियाणा, उत्तराखण्ड एवं राजस्थान में कई जगहों पर स्थित हैं ।

कम्पनी द्वारा प्रान्त में रजिस्ट्रेशन लेने का कारण यह था कि कम्पनी प्रान्त के बाहर से निर्मित माल का आयात नोएडा स्थित शाखा में करती थी तथा उसका विक्रय प्रान्त में करती थी । बाद में कम्पनी ने कच्चे माल (एल्युमिनियम स्क्रेप) का विदेश से आई सी डी दादरी के मार्फत आयात करना शुरू किया तथा आयातित माल को उन्हीं कन्टेनरों में जिनमें विदेश से आयात होता था, अपनी शाखाओं में भेजना शुरू किया । आयात करने हेतु कम्पनी मूल आयातकर्ता से हार्डसीज सेल एग्रीमेंट द्वारा कच्चे माल को खरीदती थी जिसके द्वारा मूल आयातकर्ता आयात के सारे टाइटल डोक्युमेंट्स जैसे कि सप्लायर्स इन्वॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, पैकिंग लिस्ट एवं अन्य सम्बन्धित कागजात कम्पनी के नाम से एंडोर्समेंट द्वारा हस्तांतरित करती थी जिसके पश्चात कम्पनी आई सी डी दादरी में कस्टम अथोरिटी के समक्ष आयातित माल के क्लियरेंस हेतु बिल ऑफ ऐंट्री फाइल करती थी तथा सीमा शुल्क एवं अन्य चार्ज का भुगतान करने के पश्चात आयातित माल का आई सी डी दादरी से क्लियरेंस कर आयातित माल को उन्हीं कन्टेनरों में प्रान्त से बाहर अपनी शाखाओं को भेजती थी ।

**M/s Sanjivani Non-Ferrous Trading Pvt. Ltd. / प्रा0 पत्र सं0-037 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-2**

इसके साक्ष्य में कम्पनी द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

(अ) मूल आयातकर्ता एवं कम्पनी के बीच किये गये हाईसीज सेल एग्रीमेंट की प्रतिलिपि। व्यापारी द्वारा बताया गया कि मूल प्रति कस्टम अधिकारी के समक्ष फाइल कर दी जाती है।

(आ) बिल ऑफ़ ऐंट्री की प्रतिलिपि।

(इ) निर्यातकर्ता का इन्वोइस।

(ई) बिल ऑफ़ लेडिंग।

(उ) पैकिंग लिस्ट।

(ऊ) आयातित माल के दादरी से कम्पनी की प्रान्त के बाहर स्थित शाखाओं में ले जाने की ट्रान्सपोर्टर की Goods रसीद। जाँच द्वारा यह पाया गया कि जिस कन्टेनर नम्बर का उल्लेख सप्लायर इन्वोइस, पैकिंग लिस्ट एवं बिल ऑफ़ ऐंट्री में है उसी कन्टेनर नम्बर का उल्लेख ट्रान्सपोर्टर की Goods रसीद में भी है।

(ए) व्यापारी ने इक्साइज एक्ट के तहत निर्धारित फार्म-आर जी 23 डी रजिस्टर की प्रतियाँ दिनांक 20.09.2012 से 20.08.2013 प्रस्तुत कीं जिनकी जाँच से पाया गया कि जिन कन्टेनरों में विदेश से माल का आयात किया गया उन्हीं कन्टेनरों में कम्पनी द्वारा अपनी शाखाओं को प्रान्त के बाहर भेजा गया। रिकार्ड के लिए कुछ प्रतिलिपियाँ जमा कर दी गयीं।

कम्पनी द्वारा यह भी बताया गया कि कम्पनी ने फार्म-24 में फाइल की गई रिटर्न में भूलवश आयातित माल को अन्य क्रय की श्रेणी में दिखाकर उसे स्टॉक ट्रान्सफर की श्रेणी में दिखाया गया था। कम्पनी ने अपनी भूल सुधारने हेतु वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक रिटर्न फाइल कर दिया है जिसमें आयातित माल को अन्य क्रय एवं स्टॉक ट्रान्सफर की श्रेणी से हटा दिया गया है एवं वर्ष 2013-14 के लिए भी फार्म-24 में संशोधित रिटर्न फाइल कर दिया है। कम्पनी द्वारा प्रस्तुत 2012-13 की वार्षिक रिटर्न एवं 2013-14 की संशोधित रिटर्न की प्रतिलिपि प्रस्तुत की, जिसे जाँच के बाद लौटा दिया गया।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, नोएडा सम्भाग-बी, नोएडा के पत्र संख्या-718, दिनांक 18.09.2013 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि इस केस में व्यापारी द्वारा हाईसीज सेल के माध्यम से माल विदेश से आयात किया जाता है एवं इस प्रकार की खरीद माल के भारत की सीमा में प्रवेश के पूर्व किया जाता है। इस प्रकार की खरीद केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-5 (2) के अन्तर्गत आता है तथा आयातकर्ता अगर उस माल को आई सी डी दादरी में कस्टम से क्लियर करने के पश्चात यदि उसे प्रान्त के बाहर स्थित अपनी शाखाओं को प्रेषित करता है तो यह बिक्री की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं को बिक्री नहीं कर सकता। इस प्रकार व्यापारी पर किसी प्रकार की करदेयता नहीं बनती है तथा केवल आयातित माल को प्रान्त से बाहर स्थित अपनी शाखा में ले जाने के कारण व्यापारी पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 अथवा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत कोई करदेयता नहीं बनती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि हाईसीज सेल के संव्यवहार के सम्बन्ध में विस्तृत निर्णय धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-85 / 09 सर्वश्री आर0 एस0 कम्पोनेन्ट्स इण्डिया के वाद में दिनांक 03.06.2011

**M/s Sanjivani Non-Ferrous Trading Pvt. Ltd. / प्र० पत्र सं०-037 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-3**

को पारित है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा नियमित मासिक रिटर्न दाखिल किये गये हैं। वर्ष 2012-13 तक के वार्षिक रिटर्न भी दाखिल कर दिये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधान समान हैं। धारा-35 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर बिक्रीकर, उ० प्र० बनाम सर्वश्री राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के वाद में यह व्यवस्था दी है कि एक बार रिटर्न जमा करने के बाद कमिश्नर धारा-35 के अन्तर्गत प्रश्न को निर्धारित करने के लिए सक्षम नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में व्यापारी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, नोएडा सम्भाग-बी, नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रश्नकर्ता व्यापारी नियमित रूप से मासिक / त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करते हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक रिटर्न भी दाखिल कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 के सम्बन्ध में पारित निर्णय कमिश्नर बिक्रीकर, उ० प्र० बनाम सर्वश्री राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के आलोक में कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन है। अतः धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई० टी० अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 19 दिसम्बर, 2013

ह० / 19.12.2013  
(मृत्युंजय कुमार नारायण)  
कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।